

Notice Inviting E-Tender

To,

Dear Sir / Madam,

Providing & fixing wire mesh door shutter at main gate of flats in 04 blocks of TNOQ, RBI Kanpur

Reserve Bank of India, Kanpur invites e-tender for '**Providing & fixing wire mesh door shutter at main gate of flats in 04 blocks of TNOQ, RBI Kanpur**' The e-tendering shall be done through the e-tendering portal of MSTC Ltd (<http://mstcecommerce.com/eprocn>). All eligible and interested companies / agencies / firms must register themselves with MSTC Ltd through the above-mentioned website to participate in the e-tendering process. The Schedule of e-tender is as follows:

E-Tender No.	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/2/26-27/ET/85
a) Estimated cost	9,96,000/- (Rupees Nine lakh ninety-six thousand only)
b) Mode of e-tender	e-Procurement System (Online Part I - Techno-Commercial Bid and Part II - Price Bid through www.mstcecommerce.com/eprocn)
c) Type of e-tender	Limited (Only for firms empaneled with RBI, Kanpur under 5 Lakh to 50 Lakh category of Civil Works)
d) Date of NIT available to parties to download	May 14, 2026, 3:00 P.M. Onwards
e) Pre-bid meeting (Offline)	June 04, 2026, 11:00 A.M. Onwards Venue: Estate Department, 2nd Floor, Reserve Bank of India, Mall Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001
f) EMD through NEFT	Nil
g) E-Tender Fees	NIL
h) Date of Starting of e-tender for submission of on-line Techno-Commercial Bid and price Bid at http://mstcecommerce.com/eprocn	June 08, 2026, 03:00 P.M. Onwards
i) Last date of submission of EMD	June 17, 2026, till 03:00 P.M.

j) Date of closing of online e-tender for submission of Techno-Commercial Bid & Price Bid.	June 17, 2026, at 03:00 P.M.
k) Date & time of opening of Part-I (i.e. Techno-Commercial Bid)	June 17, 2026, 03:00 P.M. Onwards
Date & Time of opening of Part II i.e. price bid (i.e. Price Bid)	June 17, 2026, 03:30 P.M. Onwards
l) Validity of the e-tender	90 days from the date of opening of Techno-Commercial bid
m) Transaction Fee (Non-refundable) (To be paid separately by the tenderers to MSTC vide MSTC E-Payment Gateway for participating in the e-tender)	As per MSTC

2. Applicants intending to apply will have to satisfy the Bank by furnishing documentary evidence in support of their possessing required eligibility and in the event of their failure to do so, the Bank reserves the right to reject their bids.
3. The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.
4. Any amendments / corrigendum to the tender, if any, issued in future will only be notified on the RBI Website and MSTC Website as given above and will not be published in the newspaper.

Regional Director
Reserve Bank of India
Kanpur

कवर पृष्ठ

भाग I

**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर**

(नियम और शर्तें तथा तकनीकी विनिर्देश)

तिलक नगर अधिकारी आवास, आरबीआई कानपुर के 04 ब्लॉक के फ्लैटों के मुख्य दरवाजे में जाली वाले दरवाजे प्रदान करने और लगाने

के लिए

ई-निविदा

RBI/Kanpur Regional Office/Estate/2/26-27/ET/85

इन्हें जारी किया गया : _____

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 17 जून 2026, अपराह्न 03:00 बजे तक

खोले जाने की तिथि : 17 जून 2026, अपराह्न 03:00 बजे से

दावात्याग

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर ने इस परियोजना की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के उद्देश्य से इस दस्तावेज को तैयार किया है। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें अंतर्निहित जानकारी को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है और उसके विश्वास के अनुसार ये सटीक हैं लेकिन न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न इसके प्राधिकारी या एजेंसी और न ही इसके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में अंतर्निहित या इसके संबंध में दी जाने वाली किसी भी जानकारी की संपूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई व्यक्ति या अव्यक्त आश्वासन या अभिवेदन नहीं देता है।

उक्त जानकारी को परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। इच्छुक इच्छुक पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्तर पर जांच कर लें और प्रतिवादियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे लिखित रूप में इस बात की पुष्टि करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार की जांच की है और निविदा प्रस्तुत करने में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर ही भरोसा नहीं किया है।

उक्त जानकारी इस आधार पर उपलब्ध कराई गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी प्राधिकारियों या एजेंसियों या इनसे संबंधित किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकर नहीं होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह परियोजना को जारी न रखे या इसके कंफिगरेशन में परिवर्तन करे या इस दस्तावेज में उल्लिखित समय-सारणी में परिवर्तन करे या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में परिवर्तन करे। बैंक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि इच्छा प्रकट करने वाले किसी भी पार्टी से आगे कोई चर्चा करने से मना कर दे। इच्छा प्रकट करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

अनुक्रमणिका

ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना¹

कवर पृष्ठ

दावात्याग

अनुक्रमणिका

ई-निविदा का फॉर्म

करारनामा

खंड क : ठेकेदारों को सामान्य अनुदेश तथा सामान्य नियम एवं शर्तें

खंड ख : सुरक्षा संहिता

खंड ग : अग्नि से सुरक्षा संबंधी संहिता

खंड घ : इससे पूर्व संदर्भित शर्तें

खंड ङ : विशेष शर्तें

अनुलग्नक- I: इससे पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

अनुलग्नक- II: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

अनुलग्नक- III: निविदाकार के बैंकों के विवरण

अनुलग्नक- IV: बयाना जमा राशि के लिए लेनदेन संबंधी विवरण

अनुलग्नक- V: अनुमोदित सामग्रियों की सूची

विनिर्देश एवं माप के माध्यम

भाग II

ई-निविदा का फॉर्म

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

प्रिय महोदय,

इसमें इसके पश्चात ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित ड्रॉइंगों, विनिर्देशनों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच कर और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य-स्थल देखकर एवं जांचकर तथा निविदा को प्रभावित करनेवाली तत्संबंधी अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर, मैं / हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न की गई मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर निविदा में दी गयी शर्तों, करार के अंतर्नियमों, निविदाकारों को दिए गए विशेष अनुदेशों, निविदाकारों को दिए गए सामान्य अनुदेशों और विशेष शर्तों, पूर्व में संदर्भित शर्तों, डेटा शीट तथा मात्राओं की अनुसूची के अनुसार इसके लिये उपलब्ध करायी गयी सामग्रियों के साथ तथा अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहाँ तक वे लागू हों, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य को निष्पादित करने का प्रस्ताव रखता हूँ/ रखते हैं।

ज्ञापन

ई-निविदा सं.	RBI/Kanpur Regional Office/Estate/2/26-27/ET/85
क) अनुमानित लागत	9,96,000/- (रुपए नौ लाख छियानवे हजार मात्र)
ख) ई-निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं भाग II – कीमत बोली, http://mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से)
ग) ई-निविदा का प्रकार	सीमित (सिविल कार्य के लिए 5 लाख से 50 लाख श्रेणी के अंतर्गत केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के साथ पैनलबद्ध फर्म के लिए)
घ) पक्षों द्वारा एनआईटी डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध होने की तिथि	14 मई 2026, अपराह्न 3:00 बजे से
ङ) बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	04 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे से स्थान: संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, मॉल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208001
च) एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमा राशि तथा विवरण विनिर्दिष्ट प्रारूप में एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएं (अनुलग्नक IV देखें)	शून्य

छ) ई-निविदा शुल्क	शून्य
ज) ई-निविदा के लिए http://mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी वाणिज्यिक बोली और कीमत बोली जमा करने की प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि	08 जून 2026, अपराह्न 03:00 बजे से
झ) बयाना जमा राशि जमा करने की अंतिम तिथि	17 जून 2026, अपराह्न 03:00 बजे तक
ञ) तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं कीमत बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	17 जून 2026, अपराह्न 03:00 बजे
ट) भाग-I खोले जाने की तिथि और समय (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) भाग-II (कीमत बोली) खोले जाने की तिथि के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।	17 जून 2026, अपराह्न 03:00 बजे से
ठ) ई-निविदा की वैधता	तकनीकी – वाणिज्यिक बोली खोले जाने की तारीख से 90 दिन।
ड) लेनदेन शुल्क (वापस न किए जाने योग्य) (ई-निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकारों द्वारा अलग से एमएसटीसी को एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान किया जाए)	एमएसटीसी के अनुसार

2. यदि यह ई-निविदा स्वीकार हो जाती है, तो मैं/ हम, यथालागू संविदा की शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और उक्त शर्तों में किए गए उल्लेख के अनुसार, किसी प्रकार का चूक होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त राशि भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. हमारे बैंकर निम्न हैं (पूरा पता)

(i)	
(ii)	

हमारी फर्म के भागीदारों के नाम हैं:

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम	
या	
संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत एवं वह व्यक्ति, जिसके पास	

मुख्तारनामा है। (मुख्तारनामे की सत्यापित मूल प्रति संलग्न की जाए)	
-------------------------------------------------------------------	--

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

साक्ष्यों के हस्ताक्षर एवं पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

करारनामा / Articles of Agreement

(₹100/- स्टाम्प पेपर पर) / (On ₹100/- stamp paper)
(केवल सफल बोलीकर्ता हेतु) / (Only for successful bidder)

यह करार वर्ष.....के..... वें दिन एक पक्ष के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है) और दूसरे पक्ष _____ (जिन्हें इसके बाद "संविदाकर्ता" कहा गया है) के बीच निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____ day of _____ between the Reserve Bank of India, KANPUR (hereafter called "The Bank") of the one part and _____ (thereinafter called "the Contractor") of the other part.

जबकि बैंक 'भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर स्थित अधिकारी आवास तिलक नगर के 4 ब्लॉक के फ्लैटों के मुख्य द्वार पर जाली वाले दरवाजें लगवाने का कार्य' कार्य कराने का इच्छुक है और विनिर्देश तैयार किए हैं जिसमें किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है।
और जबकि उक्त विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची पर उनके द्वारा अथवा पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS The Bank is desirous of getting the work "**Providing & fixing wire mesh door shutter at main gate of flats in 04 blocks of TNOQ, RBI Kanpur**" and has caused specifications describing the works to be done.

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जबकि बोलीकर्ता इसमें निर्धारित की गई शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों और मात्रा अनुसूची में उल्लिखित की गई शर्तों तथा यथा संशोधित एवं अंतिम रूप से दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत संविदा की शर्तों (जिन्हें समग्रतः इसके बाद "कथित शर्त" कहा गया है) में निहित शर्तों के अधीन बैंक की उक्त अपेक्षा और /अथवा कथित विनिर्देश में उल्लिखित कार्य और मात्रा-अनुसूची में शामिल कार्य को निष्पादित करने हेतु सहमत है जिसे वह उक्त में तय की गई राशि के अनुसार अथवा उसके अधीन देय होने वाली राशि के अनुसार निर्धारित दर (जिसे इसके बाद 'कथित संविदा राशि' कहा गया है) पर करेगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there-under (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount')

अतः अब उनके बीच निम्नलिखित रूप से करार किया जाता है:-

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. निर्धारित शर्तों में उल्लिखित समय और तरीके से संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए, बोलीकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार और उनके अधीन निविदा विनिर्देशों में और मात्रा अनुसूची में यथा उल्लिखित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

In considerations of the said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said Conditions, the Contractors shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work as described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

2. नियोक्ता बोलीकर्ता को निर्धारित शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से देय संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा।

The Employer shall pay the Contractor, the said Contract Amount or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said Conditions.

3. उक्त शर्तों में 'आर्किटेक्ट' शब्द का आशय इस संविदा के तहत निर्मित किए जाने वाले भवन/संरचनाओं की वास्तुशिल्पीय योजना और डिजाइनिंग आदि के उद्देश्य हेतु महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर से है। संविदा में उल्लिखित कार्य हेतु जिस भी कारण से आर्किटेक्ट की हैसियत समाप्त होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा नामित अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों उस प्रयोजन के लिए आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करेगा।

- क. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने और विभिन्न नियमों, शर्तों और संविदा की शर्तों को लागू करने के लिए सीधे व्यवस्था करेगा (संविदा के उपर्युक्त खंड के तहत परिभाषित कार्य को छोड़कर)। इस प्रयोजन के लिए कार्य में तेजी लाने, निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और उसे पूरा करने आदि के बारे में उक्त शर्त में उल्लिखित आर्किटेक्ट से आशय सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / सहायक प्रबंधक (तकनीकी) अथवा इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिक कोई अन्य व्यक्ति से होगा। संविदा के प्रावधानों को लागू करने अर्थात् मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटाने से संबंधित खंड के मामले में आर्किटेक्ट शब्द का आशय ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा या व्यक्तियों से होगा जिन्हें इस कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा।

The term 'Architect' in the said conditions shall mean General Manager/DGM, Estate Department, Reserve Bank of India Kanpur for the purpose of architectural planning & designing etc. of the buildings / structures to be constructed under this contract. In the event of their ceasing to be Architects for the work mentioned in the contract for whatever reason such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

- (a) The Reserve Bank of India will administer and directly arrange for supervision of works, certification of bills, making payments and implementation of various terms, conditions and stipulations of the contract (except for the scope of work as defined under clause 3 above). For this purpose, the term Architect in the said condition regarding escalation of work, quality of construction, quality of materials, progress & completion of the project etc. shall mean the Assistant General Manager (Tech) / Manager (Tech) / Assistant Manager (Tech) or any other person designated for the purpose by the Competent Authority, Reserve Bank of India. As far as the operation of the provision of the Contract viz. Clause relating to settlement of disputes through arbitration, the term 'Architect' shall be read as such other person or persons as shall be nominated by the Employer for that purpose will function as Architect.

4. सक्षम प्राधिकारी को इस कार्य हेतु प्रभारी अभियंता नियुक्त करने का अधिकार है। यदि विभाग में सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) नहीं है, तो प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, यदि प्रबंधक (तकनीकी) भी नहीं है, तो समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन से सहायक प्रबंधक (तकनीकी) इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता के रूप में कार्य करेगा।
The Competent Authority has the power to designate Engineer-in-Charge for this work. In case the department does not have AGM with technical background in that case Engineer-in-Charge for this work can be a Manager (Tech). Further, in case of non-availability of Manager (Tech), Assistant Manager (Tech) will act as Engineer-in-Charge with due approval of Competent Authority.
5. उक्त शर्तों और इसके साथ संलग्न परिशिष्ट को इसके साथ पढ़ा जाए और उन्हें इस करार का एक हिस्सा माना जाएगा तथा पक्षकारों को उक्त शर्तों का पालन करना होगा और उक्त शर्तों के अनुसार क्रमशः अपने-अपने हिस्से का करार निष्पादित करना होगा।
यहां योजनाएं, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज इस करार के आधार होंगे।
The said conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement, and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.
The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract
6. यह संविदा न तो कोई नियत एकमुस्त संविदा है, न ही खंडित कार्य संविदा है, बल्कि "नियोक्ता "भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर स्थित अधिकारी आवास तिलक नगर के 4 ब्लॉक के फ्लैटों के मुख्य द्वार पर जाली वाले दरवाजें लगवाने का कार्य" के संबंध में संपूर्ण कार्य करने हेतु संविदा है, जिसके लिए भुगतान दर अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक तयशुदा मात्रा और संभावित मात्रा के अनुसार अथवा निर्धारित शर्तों में किए गए प्रावधान के अनुसार किया जाना है।
This Contract is neither a fixed Lump Sum Contract nor a Piece Work Contract but a Contract to carry out the work in respect of the entire of the "**Providing & fixing wire mesh door shutter at main gate of flats in 04 blocks of TNOQ, RBI Kanpur**" to be paid for according to the actual measured quantities at the rate contained in the schedule of rates and probable quantities or as provided in the said Conditions.
7. संविदाकर्ता सिविल कार्यों, सेनेटरी कार्य और फिटिंग्स का संस्थापन, स्थायी जल आपूर्ति, इलेक्ट्रिकल संस्थापन, फिटिंग्स, लिफ्ट, टेलीफोन, एयर कंडीशनिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को करने हेतु हर यथोचित सुविधा उपलब्ध कराएगा और कार्य पूरा होने के पश्चात दीवारों, फर्शों इत्यादि को हुई किसी भी क्षति की भरपाई करेगा।
The Contractor shall afford every reasonable facility for the carrying out of all works relating to civil works, installation of sanitary work and fittings, permanent water supply, electrical installations, fittings, lifts, telephone, air conditioning and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.
8. नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी कार्य को जोड़कर अथवा हटाकर अथवा उक्त कार्य के किसी भाग को किसी और से कराकर कार्य के स्वरूप में बदलाव कर सकता है।

The Employer reserves to itself the right of altering the drawings & nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.

9. समय को इस संविदा का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और संविदाकर्ता इसके द्वारा औपचारिक कार्यादेश जारी होने के दिन से जैसा कि उक्त शर्तों में प्रावधान है, कार्य प्रारंभ कर देने और पूरा विनिर्दिष्ट कार्य **60 दिन** के भीतर पूर्ण कर देने पर सहमत है, तथापि यह समय विस्तार के प्रावधान के अधीन होगा।

Time shall be the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him or from the date of issue of formal work order as provided for in the said conditions whichever is later and to complete the entire work within **60 days** subject nevertheless to the provisions for extension of time.

10. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।
All payments by the Employer under this Contract shall be made only at Kanpur.
11. इस करार से उत्पन्न अथवा इससे किसी भी रूप में जुड़े सभी विवादों के बारे में यह माना जाएगा कि वे कानपुर में उत्पन्न हुए हैं और उन पर केवल कानपुर स्थित न्यायालयों को उन पर निर्णय देने का अधिकार होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kanpur and only Courts in Kanpur shall have jurisdiction to determine the same.

12. इस संविदा के अनेक हिस्से संविदाकर्ता द्वारा पढ़ लिए गए हैं और संविदाकर्ता द्वारा पूरी तरह से समझ लिए गए हैं। जब तक बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने लिखित रूप में विशेष निर्देश न दिए हों तब तक संविदाकर्ता को निविदा में उल्लिखित मात्राओं के परे भुगतान नहीं किया जाएगा।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood. The Contractor shall not be entitled for the payment for the quantities beyond the tendered quantities unless ordered for by specific written instructions from the Bank's competent authority.

13. संविदाकर्ता और उसका कर्मचारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/ सिस्टम / उपकरण आदि का विवरण जो इस करार से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उसके कब्जे या संज्ञान में आई हों, किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता करार के विवरण उस सीमा तक निजी और गोपनीय रखेगा जब तक कि इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने अथवा प्रयोज्य कानूनों के पालन हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो। संविदाकर्ता नियोक्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य के किसी भी विवरण को किसी व्यावसायिक या तकनीकी पत्र अथवा अन्यत्र न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा अथवा उसका खुलासा ही करेगा। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के कारण नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु संविदाकर्ता द्वारा नियोक्ता को क्षतिपूरित किया जाएगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकर्ता के स्तर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को हक होगा कि वह हुए नुकसान का दावा करे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे।

The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply

with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORK PLACE

क) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से संविदाकर्ता का होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत की स्थिति में संविदाकर्ता/ एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।

A. The Contractor /Agency shall be solely responsible for full compliance with the provisions of the " Sexual Harassment of the women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor / Agency and the Contractor / Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

ख) संविदाकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी से बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

B. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

ग) संविदाकर्ता के कर्मचारियों की संलिप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति के लिए संविदाकर्ता उत्तरदायी होगा, उदाहरण के लिए यदि संविदाकर्ता के किसी कर्मचारी द्वारा की गई यौन हिंसा प्रमाणित हो जाती है तो बैंक कर्मचारी को दी जाने वाली मौद्रिक राहत का भुगतान संविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।

C. The contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा संबंधित मामलों के संबंध में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी संविदाकर्ता की होगी।

D. The contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at work place and related issues.

ड.) संविदाकर्ता अपने उन कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची बैंक को उपलब्ध कराएगा जिन्हें बैंक परिसर में काम पर लगाया गया है।

E. The contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

14. संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के मामले में वे सभी उचित कदम उठाएगा जिससे कि इस करार के अधीन सभी गोपनीय सूचनाओं के गैर-प्रकटीकरण की शर्त का पूर्ण अनुपालन हो। अप्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी संविदाकर्ता की बाध्यता इस करार की समाप्ति/निरस्तीकरण, चाहे जिस वजह से हो, के उपरांत भी रहेगी।

The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

<p>यदि संविदाकर्ता कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो</p> <p>If the contractor is a Partnership or an Individual</p>	<p>गवाहों की उपस्थिति में बैंक और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को इन कागजात पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.</p>
<p>यदि संविदाकर्ता कोई कंपनी हो</p> <p>If the contractor is a Company</p>	<p>गवाहों की उपस्थिति में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन कागजात पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और संविदाकर्ता ने ऊपर लिखित तारीख और वर्ष को अपनी ओर से इस पर और इसकी दो प्रतिलिपियों पर अपनी मुहर लगवा दी है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Bank has set its hand to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicate/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.</p>

हस्ताक्षर खंड Signature Clause

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

Shri

(Name and designation)

.....

in the presence of

(1)

Address

(2)

Address

गवाह Witnesses

<p>SIGNED AND DELIVERED BY</p> <p>1).....</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2)</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Witnesses</p> <p>THE COMMON SEAL OF</p> <p>Was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed By its Board of Directors at the meeting held on.....</p> <p>In the presence of</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Directors who have signed these presents in taken thereof in the presence of</p> <p>1).....</p> <p>2).....</p>	<p>यदि पक्षकार कोई साझेदारी फर्म अथवा कोई व्यक्ति हो, तो सभी साझेदारों अथवा सभी साझेदारों की ओर हस्ताक्षर करने चाहिए।</p> <p>If the part is a partnership firm or any individual should be signed by all or on behalf of all the partners.</p> <p>यदि बोलीकर्ता मुहर लगाकर हस्ताक्षर करता है तो उपस्थितों का हस्ताक्षर खंड संस्था के अंतर्नियम में दिए मुहर लगाने के खंड से मेल खाना चाहिए।</p> <p>If the Contractor signs under its Common Seal the signature clause should tally with their sealing clause in the Articles of Associations.</p> <p>यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति।</p> <p>The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand of</p> <p>Shri</p> <p>and duly constituted attorney.....</p> <p>.....</p>	<p>यदि संविदा पर हस्ताक्षर मुख्तारनामा-धारक के द्वारा किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति।</p> <p>The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

खंड क: ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और सामान्य नियम और शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर अपने पैनल में शामिल ठेकेदारों से दो भागों में <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/index.jsp> पर ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पैनल में शामिल ठेकेदारों द्वारा उल्लिखित पोर्टल पर भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग II (वित्तीय बोली) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

1. ई-निविदा दस्तावेज़:

- i. निविदा में दस्तावेज (भाग I और भाग II) शामिल होंगे। भाग I में तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (सभी खंड और अनुलग्नक) शामिल हैं, साथ ही इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई कोई अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि। भाग II में केवल वित्तीय बोली शामिल है। ई-निविदा दस्तावेज / निविदा आमंत्रित करने की सूचना <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/index.jsp> से डाउनलोड की जा सकती है।
- ii. निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
- iii. ई-निविदा जमा करने की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पढ़ने और ई-निविदा दस्तावेजों की जांच के बाद इसके निहितार्थों की पूरी समझ के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

2. निविदा दस्तावेजों को प्राप्त करना:

- i. ई-निविदा दस्तावेज/निविदा आमंत्रित करने की सूचना <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/index.jsp> से डाउनलोड की जा सकती है।
- ii. इच्छुक पार्टियां यदि चाहें तो किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपदा विभाग के अधिकारियों से फोन/ई-मेल पर संपर्क कर सकती हैं।

3. बोली-पूर्व बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक बोली आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर बोली-पूर्व बैठकें आयोजित करेगा, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके/ परियोजना के संबंध में निविदाकर्ताओं के पास स्पष्टीकरण दिया जा सके और उन्हें इसके बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।

4. ई-निविदा दस्तावेज में संशोधन

- i. बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/index.jsp> पर शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा।
- ii. ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकारों को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

5. निविदा तैयार करना

क) भाग I / तकनीकी-वाणिज्यिक बोली :

- i. सभी अनुभाग और अनुलग्नक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। सभी अनुभागों और अनुलग्नों पर निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- ii. निविदाकर्ता को विभिन्न अनुभागों में निर्दिष्ट सभी विवरणों को भरना होगा और उत्पाद के पत्रक/आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर आदि को संलग्न करना होगा।

- iii. निविदाकर्ताओं को <http://mstcecommerce.com/eprocn>. पर सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड करके निविदा में बताए गए पूर्व-योग्यता मानदंड और अन्य दस्तावेजों के लिए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।

ख) भाग II / वित्तीय बोली :

- i) बोली की मुद्रा: बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी जेब / जुटाने का खर्च, उपकरण, कार्यकर्ता की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी सहित), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर,) श्रम, अन्य सरकारी कर, केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल हैं। जैसा कि नियमों के अनुसार लागू होता है।
- ii) कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
- iii) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे जा सकते हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली को खोलने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, बैंक निविदा खंड के अनुसार इस मामले में समीक्षा भी कर सकता है। यदि आवश्यक हो।
- v) दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए। ई-निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को ई-निविदा के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है; इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी। ई-निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi) एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, ई-निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- vii) प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका अनुबंध के प्रदर्शन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण वस्तुओं की डिलीवरी की कीमत या समय अनुसूची में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

6. बोलियों की वैधता की अवधि

निविदा आमंत्रित करने की सूचना में दर्शाई गई अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए बोलियां वैध रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस अवधि को पारस्परिक रूप से और बढ़ाया जाएगा।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने का कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अपने पास आरक्षित रखता है।

8. (क) खंड 8 के अधीन कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के अलावा और ठेकेदार द्वारा संविदा की देय पूर्ति के लिए आगे की सुरक्षा के रूप में, अंतरिम/अंतिम भुगतानों के मूल्य का 5% बैंक द्वारा ठेकेदार को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से प्रतिधारण राशि के रूप में काटा जाएगा। ईएमडी को कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने और कार्य शुरू करने के बाद जारी किया जाएगा। कार्य के वर्चुअल समापन के बाद कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी जारी की जाएगी और 12 महीने की देयता अवधि के दौरान बताए गए दोषों को दूर करने के बाद प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

(ख) इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को उसकी बयाना राशि और प्रतिभूति जमा से काटा जा सकता है यदि राशि पर्याप्त है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा अन्यथा देय न हो जाए, इस तरह की कटौती के दस दिनों के भीतर इस तरह की कटौती की गई राशि को नकद में भुगतान करेगा।

9. बोलियाँ जमा करने की प्रक्रिया

इस निविदा के लिए **दो-कवर/ पार्ट सिस्टम** रखने का प्रस्ताव है।

क) तकनीकी - वाणिज्यिक बोली/भाग I में निम्नलिखित मदें शामिल हैं

- भाग-I / तकनीकी - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक): कृपया ध्यान दें कि कीमतों को भाग-I/ तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली <http://mstcecommerce.com/eprocn> को प्रस्तुत की जा सकती है।
- पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण <http://mstcecommerce.com/eprocn> पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए, यदि कोई हो।
- ईएमडी का भुगतान विवरण संलग्न किया जाएगा।

ख) भाग II /वित्तीय बोली

- भाग II/वित्तीय बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> को प्रस्तुत की जा सकती है
- कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- निविदाकर्ताओं को उनकी बोलियों की प्राप्ति के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जिन लोगों ने निविदा डाउनलोड की है, उन्हें पात्रता मानदंड, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. ई-निविदाओं की प्राप्ति

ई-निविदा बोलियाँ निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी जैसा कि निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11. भाग I खोला जाना

तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियाँ निर्धारित समय और तारीख पर खोली जाएंगी जैसा कि संपदा विभाग, आरबीआई कानपुर में निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लेख किया गया है। निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि,

यदि वे चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं।

12. भाग I की संवीक्षा

- i. संविदा के भाग I का मूल्यांकन, संविदा की विशेष शर्तों में इंगित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- ii. भाग I के मूल्यांकन के उपरांत, शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों को ई-मेल से सूचित किया जाएगा। भाग-I पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और चर्चा के लिए खुला नहीं होगा।

13. भाग II / वित्तीय बोली खोला जाना

शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों के भाग- II को बाद में खोला जाएगा और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकारों को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। शॉर्ट-लिस्ट किए गए निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं।

14. भाग II की संवीक्षा

भाग II का मूल्यांकन, संविदा में उल्लिखित विशेष शर्तों में इंगित प्रक्रिया के अनुसार होगा। तदनुसार, न्यूनतम निविदाकार (एल 1) की घोषणा की जाएगी।

15. आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय बैंक को मात्रा में संशोधन करने का अधिकार है।

16. बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बिलों को अस्वीकार करने का बैंक के पास अधिकार

- i. ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं पड़ता है। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के कारण अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
- iii. यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
- iv. किसी प्रकार की घटना जिसके कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।
- v. निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित सहयोग/शरारत का साक्ष्य, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर, कोई अन्य कारण, जिसके लिए बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता होती है।
- vi. ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सभी निविदाकर्ताओं को 7 दिनों या ऐसे निर्णय के किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के किसी भी उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता बोली प्रतिभूति को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- vii. बैंक प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में दिए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।
- viii. बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की शर्त को हतोत्साहित करता है।

- 17. ठेकेदार अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से का उप-ठेका नहीं देगा ;** वह बैंक की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, बैंक अनुबंध को रद्द करने वाले ठेकेदार पर लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक की प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 18. ठेकेदार बैंक के इंजीनियर द्वारा दी गई मात्रा, विवरण और निर्देशों की अनुसूची के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा।** यदि बैंक के इंजीनियर की राय में, डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, वे चाहते हैं कि ठेकेदार इसे पूरा करे। ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा। ऐसे मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।
- 19. इन विशेष शर्तों के साथ प्रत्येक कार्य और विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्रा की एक अनुसूची है।** संभावित मात्रा की अनुसूची बैंक के विवेक पर चूक, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए, बल्कि एक अलग कॉलम में दर्ज किए गए कार्य की प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी होना चाहिए और संपूर्ण निविदा के कुल मूल्य को दिखाने के लिए सभी वस्तुओं का कुल योग किया जाना चाहिए।
- 20. निविदाकार को अपने लिए, अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर, सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा निष्पादित करने और अनुबंध करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकती है और विनिर्देशों की जांच करनी चाहिए और कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामले से स्वयं को परिचित करना चाहिए।**
- 21. (क) निविदा में उद्धृत दरों में दोहरे मचान (यदि आवश्यक हो), किसी भी उपकरण और पौधों के लिए किराए पर केंद्रित, सामग्री के लिए छाया, साइट को चिह्नित करना और साफ करना, पानी देना, जैसा कि विनिर्देशों में उल्लेख किया गया है, के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे।** उद्धृत दरों को साइट पर मापे जाने वाले तैयार कार्य के लिए माना जाएगा। दरें भी निश्चित होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। निविदाकारों को अपनी दरों में जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट, चुंगी, कार्य अनुबंध पर बिक्री कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी, यदि लागू हो, को शामिल करना होगा। जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी या अन्य कर, शुल्क या लेवी के संबंध में कोई भी दावा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य, नियोक्ता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (ख) कार्य इस तरह से किया जाएगा कि बैंक परिसर और उसके कामकाज में कम से कम व्यवधान हो। इस उद्देश्य के लिए बैंक इंजीनियर के परामर्श से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
- 22. ठेकेदार द्वारा यह नोट किया जाए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ई-निविदा पूरी तरह से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, और व्यावहारिक होनी चाहिए।** मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि छोड़ी जा सकती है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त मदों के मामले को नियोक्ता के संज्ञान में लाएगा जो काम के दौरान मात्रा की अनुसूची में उल्लिखित नहीं है और केवल बैंक के इंजीनियर से लिखित अनुमोदन पर ही इसे पूरा करेगा।
- 23. ई-निविदा के मूल्यांकन के दौरान, बैंक द्वारा न्यूनतम बोलीदाता को बैंक के अनुमान और वस्तुओं के लिए उनके द्वारा उद्धृत दरों की राशि में होने वाले अंतर के समतुल्य राशि की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।** कार्य सौंपे जाने के लिए बैंक गारंटी की प्रस्तुति एक पूर्व शर्त होगी। बैंक गारंटी प्रस्तुत न किए जाने पर, बैंक ई-निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 24. ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य जारी करने या साइट को सौंपने के लिखित आदेश के अगले दिन से जो भी बाद में हो, गणना की जाएगी।** अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान, सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध की शर्तों के खंड 27 (धारा

- डी) में परिभाषित परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता काम शुरू करने से पहले, एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा
25. ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य व्यापारियों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकार द्वारा नियंत्रित या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्य के लिए या किसी अन्य कारण से पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में और नियोक्ता उसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता ई-निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, जो इस तरह के परिवर्तनों के अधीन है जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।
 26. सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की सभी वस्तुओं को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही ये मर्दे मात्रा और दरों में शामिल न हों। नियोक्ता ऐसी अतिरिक्त मर्दों और उनकी मात्रा के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची लिखित रूप में जारी करेगा।
 27. सफल निविदाकर्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ और नियोक्ता की संतुष्टि के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।
 28. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से और कानूनी सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकता के अनुपालन में भी किए जाएंगे और किसी भी कारण से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 29. सफल निविदाकर्ता को काम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था के साथ करना चाहिए।
 30. ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा। सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी यदि वह अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है।
 31. आयकर, सेवा कर, व्यापार कर, जीएसटी या अन्य कर लागू होने पर कटौती की जाएगी।
 32. ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि नौकरी के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रार/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।
 33. **उद्धृत दर में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय ईएसआई, ईपीएफ, बोनस या किसी अन्य मुआवजे आदि के लिए देय राशि शामिल होगी।** एजेंसी या ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य है कि वह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पंजीकरण/कोड नंबर प्राप्त करे और समझौतों के निष्पादन से पहले बैंक को प्रस्तुत करे। यह एजेंसी या ठेकेदार द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए। एजेंसी या ठेकेदार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उसके द्वारा नियोजित कामगारों/ठेका श्रमिकों के संबंध में लागू होता है और बैंक को इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (यानी भुगतान करते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पोर्टल से प्राप्त भुगतान रसीद) प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर बैंक इसे सीधे जमा करेगा और एजेंसी या ठेकेदार को देय देय राशि से संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार जुर्माना लगाने के साथ-साथ समायोजित/कटौती करेगा। इस खाते पर एजेंसी या ठेकेदार को उद्धृत दरों से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी या ठेकेदार ईएसआई और ईपीएफ के उद्देश्य सहित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और ईपीएफ और ईएसआई सहित श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है

गवाह : निविदाकार का हस्ताक्षर _____

पता _____

स्थान :

तिथि :

खंड ख : सुरक्षा संहिता

1. स्टर्लाइज्ड ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण, सुलभ स्थान पर रखा जाएगा। उन मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, किसी घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
2. जो कार्य जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए श्रमिकों को उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए।
3. किसी भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो साथ-साथ लगाए गए रंस के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाया जाए।
4. किसी भवन के फर्श में या वर्किंग प्लेटफॉर्म में प्रत्येक ओपनिंग को उपयुक्त फेंसिंग या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
5. भवन के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं ओवरलोड किया जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए।
6. अस्फाल्ट, सीमेंट मोटार या कंक्रीट जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग के कार्य से जुड़े श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएं।
7. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएं।
 - i. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी पेंट का उपयोग नहीं किया जाए।
 - ii. जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जाता है, तो श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाए, जिसमें लेड पेंट और स्क्रेप किया जाता है। ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाए और काम करने वाले चित्रकारों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं।
 - iii. कार्यों में उपयोग की जाने वाली होयस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके अटैचमेंट, ऐन्क्रेज और सपोर्ट सहित सही स्थिति में होंगे।
8. सामग्री को उठाने या नीचे करने में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ, या सस्पेंशन का साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूत और त्रुटिरहित होने चाहिए।
9. यह एक आवासीय परिसर है और बैंक की सुविधा के आधार पर साइट तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

स्थान:

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर
नाम और पता

दिनांक:

टेलीफोन/मोबाइल नं.

खंड ग: अग्नि से सुरक्षा संहिता

- i. कटिंग/ ड्रिलिंग मशीन तथा बिजली से चलने वाले अन्य उपकरणों को उचित रेटिंग के इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
- ii. केवल ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।
- iii. उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रिकल पावर केबल/ वायर में कोई जॉइंट नहीं होगा और ये समुचित रूप से रेटेड होंगे।
- iv. वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीनों आदि जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरणों को परिचालन के दौरान करेंट के लीकेज को रोकने के लिए सुरक्षित ढंग से अर्थिंग से जोड़ा जाएगा।
- v. कार्यस्थल पर आसानी से पहुँच वाले स्थान पर दो बाल्टी पानी और बालू रखा जाएगा।
- vi. कार्यस्थल पर फायर ऑफिसर्स द्वारा सिफारिश किए गए और जारी किए गए अग्निशामकों को रखा जाएगा। उपयोग किए गए पेंट के ड्रम को अच्छी तरह से बंद करने के बाद केवल निर्दिष्ट स्टोर में ही रखे जाएंगे।
- vii. पेशागत स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए कार्य की आवश्यकता के आधार पर सेफ्टी शूज़, हार्ड ग्लव्स, वेल्डर्स मास्क, इयर प्लग आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को कामगारों को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- viii. ठेकेदार द्वारा सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोग कामगारों द्वारा ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान किया जाएगा।
- ix. किसी भी प्रकार की सामग्री/ बेकार चीजों का ढेर डंप करने के लिए लिफ्ट लॉबी के आसपास के स्थान का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- x. किसी भी अग्निशामक को उसके निर्दिष्ट स्थान से नहीं हटाया जाएगा।
- xi. जब किसी उपकरण का उपयोग न किया जा रहा हो तो पावर सप्लाय को मेन स्वीच से बंद कर दिया जाएगा।
- xii. कार्य के दौरान निकलने वाले लकड़ी के छीलन और बुरादे को दैनिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा और कार्यस्थल से हटाकर निर्दिष्ट स्थान पर सही तरीके से स्टोर किया जाएगा।

स्थान :

निविदाकार का हस्ताक्षर :

तिथि :

पता :

खंड डी: इस पूर्व में उल्लिखित शर्तें

1. इन शर्तों, विनिर्देश, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते के निर्माण में, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ उनके लिए निर्धारित अर्थ होगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

- क) "नियोक्ता" इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेषण और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
- ख) कंपनी के मामले में "ठेकेदार का मतलब _____ 19__ के तहत निगमित कंपनी _____ होगा और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।
- ग) "साइट" इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
- घ) "यह अनुबंध" इसका अर्थ होगा समझौते का लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित।
- ङ) "लिखित रूप में सूचना" इसका अभिप्राय लिखित, टंकित या मुद्रित या लिखित सूचना" अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो, अन्यथा यह सिद्ध हो जाए कि वह प्राप्त हो गया है) जो पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और उसे उस समय प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में उसे वितरित किया जाता।
- च) "दिवालिया अधिनियम" इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियेपन अधिनियम, या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी दिवालियेपन अधिनियम से होगा।

छ) "शुद्ध मूल्य"

यदि अनुबंध राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार ने निविदा में दी गई कुल मदों में प्रतिशत या अन्य रूप से कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य, निविदा में दर्शाए गए वास्तविक आंकड़ों में उस वस्तु के मूल्य के समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मदों और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। अनुबंध या खाते के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य ही माना जाएगा।

ज) "कार्य"

इसका अर्थ होगा **सिविल लाइंस अधिकारी आवास, आरबीआई, कानपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के फ्लैट (01), ग्रेड बी/सी फ्लैट (02) और केयरटेकर कार्यालय का नवीनीकरण**

2. **अनुबंध का दायरा:** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

- क. डिज़ाइन, गुणवत्ता या कार्यों में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य में वृद्धि, कमी या प्रतिस्थापन।
- ख. आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
- ग. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
- घ. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- ङ. उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।
- च. किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।
- छ. इसके खंड 19 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार ऐसे बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए

मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

3. अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर, ठेकेदार को उक्त प्रत्येक आरेखण और विनिर्देशों की एक प्रति और कार्य के दौरान जारी किए गए सभी आगे के आरेखणों की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठेकेदार द्वारा अपेक्षित ऐसे आरेखणों की किसी भी अतिरिक्त प्रति के लिए उसे भुगतान करना होगा। ठेकेदार कार्य से संबंधित सभी आरेखणों की एक प्रति अपने पास रखेगा और बैंक इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर उस तक पहुँच प्राप्त होगी। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक इंजीनियर को सभी आरेखण और विनिर्देश लौटाने होंगे।

4. ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखणों में या आरेखणों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए।

5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखणों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 13 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

6. कार्य की रूपरेखा: ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

7. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए: सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

8. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि: ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

9. कामगारों की बर्खास्तगी: ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यों तक पहुँच: नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा।

सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी): "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति होगा। ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्रियों के अनुमोदन न होने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा कार्य निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। कार्य की समय-समय पर सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से ठेकेदार को उन दोषों को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाए जा सकते हैं।

12. समनुदेशन और उप-पट्टा: अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

13. कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

14. मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मदों की चूक इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता: यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

16. कार्यों का मापन -: बैंक इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या ऐसे मापन और गणना करने में बैंक इंजीनियर की सहायता करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए भी आवश्यक सभी सहायता प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजेगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो बैंक इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन, कार्यों का सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट मापन के समय आवश्यकतानुसार नोट्स और मापन ले सकता है।

नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन ऐसे मापनों में शामिल किए जाएंगे।

17. अतिरिक्त मूल्य: ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित रूप में निर्देशित होने पर, आरेखणों में दर्शाए गए कार्यों, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, हटाना या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर उनके द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह धारा 5 के प्रावधानों के तहत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- (a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगे, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य जैसी शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।
- (ii) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।
- (b) मूल निविदा के शुद्ध मूल्य छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगे, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए मूल्य उप-खंड (ग) के तहत मूल्यांकित किए जाएँगे।
- (c) जहाँ अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहाँ चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में तर्गसंगत और उचित समझे।
- (d) जहाँ अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहाँ ठेकेदार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्रा में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. सामग्री की मूल दर के लिए मूल्य समायोजन:

मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा पर ही किया जाएगा। मूल्य समायोजन मूल दर और वास्तविक बाजार/सामग्री खरीद दर के बीच के अंतर के लिए किया जाएगा और ई-निविदा में संबंधित मद के लिए उद्धृत दर में 15% लाभ होगा। मूल दर जो है जीएसटी, परिवहन शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क, वैट, सैट, चुंगी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी को छोड़कर साइट पर सामग्री की लागत को इंगित करती है।

19. नियोक्ता की संपत्ति मानी जाने वाली अनिर्धारित सामग्री

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

20. अनुचित कार्य को हटाना: नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय(यों) के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और आरेखणों एवं विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्च पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएँगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जाएँगे।

21. वास्तविक समापन के बाद दोष: कोई भी दोष, मूल्यहास, समायोजन या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो सकता है, या यदि किसी ने इनका उल्लेख नहीं किया है तो कार्य के वास्तविक समापन के बारह महीने के भीतर, जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली कारीगरी की सामग्री से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक की स्थिति में नियोक्ता ऐसे दोषों, मूल्यहास समायोजन या अन्य दोषों को ठीक करने और संशोधित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय जो इसके आनुषंगिक हैं, नियोक्ता द्वारा ठीक किए जाएँगे और वहन किए जाएँगे या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से काट लिया जाएगा या जो ठेकेदार को देय हो सकती है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे संशोधन और कमियों को पूरा करने के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से एक राशि काट सकता है, जिसे नियोक्ता द्वारा समकक्ष निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कार्य में संशोधन की लागत और इस धारा के तहत रखी गई राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च की भी वसूली की जाएगी। यदि कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे इस धारा के तहत खंड

12 और 22 के तहत नामित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई या आपूर्ति की गई थी और इस धारा और इस धारा 2 के प्रावधान के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद ठेकेदार खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

22. वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि: जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तिथि से शुरू होगी।

23. नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान नहीं करेगा।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेके के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी अनुबंध का सृजन नहीं होगा।

24. **नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति:** नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

25. **व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:**

क) ठेकेदार, किसी व्यक्ति, पशु या वस्तु को होने वाली सभी चोटों या क्षति और संपत्ति के सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार या किसी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के अंतर्गत देयता में अन्य बातों के साथ-साथ, संरचनाओं को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वे निर्माण कार्य के ठीक बगल में हों या अन्यथा, सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को होने वाला कोई भी नुकसान, साथ ही इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाला नुकसान भी शामिल होगा। ठेकेदार बारिश, हवा, पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा उपरोक्त किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को हुई चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसान और खर्चों के संबंध में, और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध, और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार, मुआवजे या क्षति के संबंध में भी, बैंक को हानिरहित रखेगा। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, बैंक द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, बैंक और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए **एक सर्व जोखिम पॉलिसी** लागू करेगा और बनाए रखेगा, ठेकेदारों के लिए मानक सर्व जोखिम पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के विरुद्ध और कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा।

ख) ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा ताकि संपूर्ण कार्य हर दृष्टि से पूर्ण और परिपूर्ण हो और संपत्ति या तृतीय पक्षों को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या अन्यथा उन्हें संतुष्ट किया जा सके।

ग) ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों से भी बचाएगा और सुरक्षित रखेगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंक के खिलाफ काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप किए जा सकते हैं, और वह अपने खर्च पर, बैंक द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी से, अनुबंध पूरा होने तक, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से एक बीमा पॉलिसी लेगा (पॉलिसी में बैंक का नाम पहले होगा) और ऐसे जोखिमों के खिलाफ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियां काम शुरू होने से पहले जमा करेगा।

(घ) पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज की न्यूनतम सीमा किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹2 लाख और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में ₹5 लाख होगी। ठेकेदार, बैंक पर किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति भी करेगा, चाहे वे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत हों या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत, इस अनुबंध की अवधि के दौरान या ठेकेदार या उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में सामान्य कानून के अंतर्गत हों और वह अपने स्वयं के व्यय पर, बैंक द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के वास्तविक समापन तक ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा

(ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठेकेदार द्वारा बीमा करने में चूक की स्थिति में, बैंक बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है जो ठेकेदार पर बकाया हो।

(च) ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस अनुबंध को करने वाले दोषपूर्ण को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी, जो भी हो, कारण हो सकता है जिसके कारण नुकसान हुआ होगा।

(छ) ठेकेदार क्षतिपूर्ति करेगा और सभी और किसी भी लागत, शुल्क या कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले खर्चों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

(ज) इस तरह के डिफॉल्ट के संबंध में ठेकेदारों के खिलाफ बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देय किसी भी राशि से बैंक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजा लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं।

(झ) ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार

को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

(ज) ठेकेदार, क्षति के बाद पुनः निर्माण या बहाली के मामले में पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि बैंक उचित समझे, लेकिन हालांकि, बैंक द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।

(ट) इस खंड के तहत अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान नीतियों के कार्यों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और बैंक को ऐसी नीतियों के बारे में सूचित करेगा। ठेकेदार एक नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां जमा नहीं की जाती हैं। साइट पर कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा की पॉलिसियों को लेने में उप-ठेकेदार की विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

(ठ) कार्य के आरंभ होने से पहले, ठेकेदार सभी प्रकार के बीमा लेगा और विनिर्माता के कार्यस्थल से निकलने से बैंक को सौंपे जाने तक अपनी लागत पर सभी उपकरणों के जोखिम को कवर करेगा और ठेकेदार द्वारा निम्न जोखिमों को कवर किया जाएगा :

ठेकेदार की सभी जोखिम नीति

कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति नीति

कुल रु.10.00 लाख के लिए तीसरी पार्टी देयता, जिसकी सीमा रु.2.50 लाख प्रति दुर्घटना है।

26. प्रारंभ और पूरा होने की तिथि: ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तिथि" पर कार्यस्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या प्रत्येक बाद की तारीख के रूप में नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बाद तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (इस तरह की पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक देरी करना चाहता है) या "पूरा होने की तारीख" में बताए गए इसके बाद समय बढ़ाने के उपबंधों के अधीन परिशिष्ट में शामिल है।

27. पूरा न होने पर नुकसान: यदि ठेकेदार परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या किसी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो यहां खंड 27 के तहत, ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और बैंक ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है। परिसमापन क्षति की वसूली प्रति सप्ताह

परिसमापन क्षति की मात्रा होगी जो अनुमानित लागत का 0.25 प्रतिशत होगी और स्वीकृत ई-निविदा राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन होगी।

28. विलंब और समय का विस्तार: यदि नियोक्ता के अनुसार कार्यों में देरी हो रही है (क) अप्रत्याशित घटना द्वारा या (ख) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या ग) ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के अलावा अन्यथा उत्पन्न होने वाले या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ की गई कार्यवाही या विवाद के कारण या (डी) नियोक्ता द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदार या ट्रेड्समैन के कार्यों या देरी से और मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया है या (ड) इसके खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारणों से, (च) नागरिकों द्वारा हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को नियत समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य से ऐसे कारण जिन्हें बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है या (I) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक पूरा होने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, जैसे ही बैंक को लिखित सूचना दी जा सकती है, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार प्रयास करेगा और बैंक की संतुष्टि के लिए यथोचित रूप से आवश्यक कार्य करेगा।

29. नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता: यदि 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार इस तरह के अरेखों और/या बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है, जो कि उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा काटी जा सकती हैं।

30. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या उसे दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में अदालत और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर असमर्थ होगा, जिसमें उसे आर्किटेक्ट की उचित संतुष्टि दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और इसलिए सुरक्षा देने के लिए, यदि वास्तुकार द्वारा आवश्यक हो।

या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, पहली या निगमित कंपनी ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपदाको निष्पादन या अदालत की कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

या इस अनुबंध के तहत ठेकेदारों के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगताना होगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को सबलेट करने के लिए असाइन करेगा और पहले प्राप्त किया था

या इस अनुबंध या किसी भी भुगतान को चार्ज या भारित करेगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

i. अनुबंध छोड़ दिया है,

ii. या कार्यों को शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के आगे बढ़ने के लिए बैंक नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है या

iii. इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या

iv. साइट से सामग्री को हटाने या सात दिनों के लिए काम को समाप्त करने और बदलने में विफल रहा है, बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करता है कि उक्त सामग्री या कार्य की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था' या

v. अनुबंध द्वारा किसी भी कार्य, मामले या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा सात दिनों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस के बाद ठेकेदार को दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि अनुबंध इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है, और इसलिए यदि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तनों और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन पर कब्जा कर सकता है, और अपनी संपदाके रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और श्रमिकों के माध्यम से काम को पूरा करने और पूरा

करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और खत्म करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई कार्य या कार्य नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें। इसके बाद नियोक्ता अपने हाथ में लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री के बारे में क्या है, जो इस प्रकार लिया गया है, या नियोक्ता द्वारा लिया गया है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या नुकसान होगा, और राशि। यदि कोई हो, ठेकेदार और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति: यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए अवैतनिक होगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया होगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के मुद्दे में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देगा, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या कानून के किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीदी गई या उद्देश्य या अनुबंध के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल ई-निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इस धारा के खंड 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. प्रमाण पत्र और भुगतान: ठेकेदार को समय-समय पर नियोक्ता द्वारा अंतरिम प्रमाण पत्र के तहत किस्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा निष्पादित कार्य के कारण परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए किया जाएगा, क्योंकि 'अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य' इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण धन" के रूप में

नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को बनाए रखने के अधीन, जिसके बाद किशतें बाद में निष्पादित और भवन में तय किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य वस्तुतः पूरा हो जाता है, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित धन की राशि "वर्चुअल पूर्णता के बाद किस्त" उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होने के नाते। और ठेकेदार अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जिसे परिशिष्ट में 'दोष देयता अवधि' के रूप में संदर्भित किया गया है, आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और सभी दोषों को सही इरादे और अर्थ के अनुसार अच्छा किया जाएगा, जो भी अंतिम होगा हमेशा या उनके पूरा होने के बाद ठेकेदार को खंड 2 और 20 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और न ही ठेकेदार को धोखाधड़ी, बेईमानी, या कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में या प्रमाण पत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में ठेकेदार को राहत नहीं देगा।

नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

भुगतान की निम्नलिखित शर्तें केवल काम के लिए लागू होती हैं।

पूर्ण और अंतिम बिल नीचे दिए गए विस्तृत मद-वार माप लिए जाएंगे और भुगतान उद्धृत दर पर कार्य की विशिष्ट मद के पूरा होने के आधार पर किया जाएगा। सभी भुगतान सुरक्षा जमा, आयकर और कार्य अनुबंध कर (व्यापार कर), जीएसटी, आदि की वसूली के अधीन होंगे।

33. **विलंब से भुगतान:** नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में 'प्रमाण पत्र का सम्मान करने की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाएगा, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा भुगतान तक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

34. खंड 2 (ए), 2 (बी), 4, 7, 12, 19 और 29 के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाण पत्र (भुगतान को छोड़कर) अंतिम और निर्णायक और बाध्यकारी होगा पक्षों पर अपील के बिना। कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, खंड के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा 35 सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित)।

35. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान:** किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो कि अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके

पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपेक्षित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा। लेकिन अगर नियोक्ता या ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट हैं, तो किसी भी अपवाद के मामले को छोड़कर किसी भी प्रकार के विवाद का सवाल है और ऐसे किसी भी मामले में या तो पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार इस तरह के किसी भी मामले में या तो पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। लिखित नोटिस उन मामलों को निर्दिष्ट करेगा जो विवाद या अंतर में हैं जिनमें से इस तरह की लिखित सूचना दी गई है और कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और इसके द्वारा मध्यस्थता और मध्यस्थ के अंतिम निर्णय को संदर्भित किया जाता है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति और नियुक्ति की जाती है या, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के रूप में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए, प्रत्येक पार्टी द्वारा एक नियुक्त किया जाना है, जो मध्यस्थ खुद को बोझ लेने या संदर्भ लेने से पहले एक अंपायर नियुक्त करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय की मांग या नोटिस, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा भी मामला हो सकता है पार्टियों की सहमति से) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां पारस्परिक रूप से निपटाती हैं, समझौता करते हैं या अपने विवाद या अंतर को जोड़ते हैं, मध्यस्थता का संदर्भ और मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दिया गया माना जाएगा और मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी जिस दिन पार्टियां उसके निपटान का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करती हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो।

इस तरह के किसी भी संदर्भ में से प्रत्येक पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए एक आकस्मिक की लागत क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगी, जैसा कि मामला हो सकता है जो इसकी राशि निर्धारित कर सकता है, या वकील और ग्राहक के बीच या पार्टी और पार्टी के बीच के रूप में कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस मामले में इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता अधिनियम (नवीनतम संशोधन) या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ

के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, अंतिम और बाध्यकारी पक्ष होंगे। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले के कारणों से कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा रहा है, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों के साथ आगे बढ़ेगा और करेगा, मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, परिश्रम और करेगा, मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, दिया जाता है, बैंक के निर्णय का पालन करता है और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

36. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों की तकनीकी जांच और ठेकेदार के अंतिम बिल की जांच करने का अधिकार होगा। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. नियोक्ता कामगारों को दिए गए मुआवजे को कवर करने के लिए अधिकृत है

यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से घटाकर वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा, ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूरी सुरक्षा देने के अलावा उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसके लिए नियोक्ता हो सकता है इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी बनना।

38. कार्यों का परित्याग

यदि ई-निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी भाग को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के

किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस संपर्क के किसी भी या सभी खंडों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति और वापसी के बिना उनका निपटान नहीं करेगा यह नियोक्ता को, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, निर्धारित की जाने वाली कीमत उसके खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें जीएसटी, बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्क, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप या जो सामान्य रूप से इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप होता है।

40. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में संविदा समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. ईपीएफ और ईएसआई: ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह ईपीएफओ के साथ पंजीकृत है और उसे ईपीएफओ और ईएसआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

स्थान:

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांक:

पता:

खंड ई: विशेष शर्तें

- क) श्रमिकों को परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ख) काम या कामगारों के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध स्रोत से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा पानी की आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- ग) कार्य के लिए आवश्यक विद्युत को साइट पर उपलब्ध आपूर्ति से निःशुल्क लिया जा सकता है।
- घ) स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर प्राप्त की जाएगी।
- ङ) भले ही फिनिशिंग मर्दों में, पेंट/पॉलिश के कोटों की संख्या का उल्लेख किया गया है, ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि पूरे क्षेत्र को बिना किसी अतिरिक्त लागत के पेंटिंग/पॉलिशिंग आदि के अतिरिक्त कोट सहित सौंपते समय शीर्ष श्रेणी में समाप्त किया जाए।
- च) इच्छुक निविदाकार, बैंक के किसी भी कार्य दिवस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर के कार्यालय से ई-निविदा, विनिर्देशों आदि के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
- छ) उक्त कार्य से होने वाले मलबे/धूल या किसी भी अपशिष्ट को जितनी बार आवश्यक हो और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार उसे साफ किया जाएगा और पूरे क्षेत्र को साफ किया जाएगा।
- ज) जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार द्वारा पूरे भुगतान किए गए बिल के सत्यापन के लिए बैंक को प्रस्तुत किया जाए। खरीदने की प्रक्रिया से पहले बैंक द्वारा खरीद का दर अनुमोदित किया जाएगा। कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। लागत अंतर में 15% लाभ पर विचार किया जाएगा। मूल मूल्य गोदाम से बाहर हैं और इनमें जीएसटी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और स्थानीय प्राधिकरण/सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य सभी शुल्क शामिल नहीं हैं। उद्धृत दर में साइट के लिए परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग संबंधी दर आदि शामिल होंगे।
- झ) बैंक सामग्री, कारीगरी, विवरण और फिनिशिंग के चयन पर जोर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वे मानते हैं और इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। ठेकेदार इस खाते पर अतिरिक्त दावा करने के लिए पात्र नहीं है।
- ञ) बैंक को खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों, सहायक उपकरणों/फिनिश के नमूने तैयार करने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होगी। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्य अस्वीकृत हो सकता है।
- ट) कार्य के लिए सामग्री के नमूने बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।
- ठ) निविदाकार को ध्यान देना चाहिए कि उसे भवन के किसी भी घटक को कोई नुकसान पहुंचाए बिना और मौजूदा निवासियों को परेशान किए बिना अपने हिस्से के काम को निष्पादित करना चाहिए। इस तरह से होने वाले किसी भी नुकसान को ई-निविदा की लागत और जोखिम पर पूरा किया जाएगा।
- ड) निविदाकार को ध्यान देना चाहिए कि अनुसूची में प्रत्येक मद का वर्णन करने वाले ई-निविदा चित्र और अन्य दस्तावेज केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और उन्हें विस्तार और फिनिश में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। आंतरिक कार्यों के लिए ई-निविदा होने के नाते, जिसमें उच्च मानक की अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग सहित कारीगरी और फिनिश की आवश्यकता होती है, यह उम्मीद की जाती है कि निविदाकर्ता को ई-निविदा ड्राइंग और विनिर्देशों के इरादे को समझना चाहिए और सामग्री, कारीगरी, फिनिश और सहायक उपकरण के लिए उचित रूप से प्रदान करना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के प्रकार, कारीगरी, फिनिश आदि के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसी सामग्री, कारीगरी

और फिनिश के लिए अपने ई-निविदा में दर प्रदान नहीं करने के ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

- ढ) सफल ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपनी सामग्री की रक्षा करे और उन्हें संतोषजनक ढंग से बैंक को अच्छी स्थिति में सौंप दें। किसी प्रकार की क्षति, खरोंच, डेंट या इस तरह के दोषों को बैंक की संतुष्टि के लिए ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ठीक किया जाएगा।
- ण) सफल निविदाकारों द्वारा उद्धृत मूल्य में, सभी संबद्ध सिविल कार्य जैसे दीवार में छेद करना, ग्राउटिंग आदि के बाद सतह को ठीक करना, आदि शामिल होंगे।
- त) हर समय साफ-सुथरे तरीके से हाउसकीपिंग करना, सफल निविदाकार की जिम्मेदारी है, जो यह भी सुनिश्चित करेगा कि साइट से मलबे, अपशिष्ट पदार्थ आदि को अपने खर्च पर हटाया जाए और इसे नियमित आधार पर व्यवस्थित किया जाए।
- थ) सफल ठेकेदार अपनी सभी सामग्रियों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा और आवासीय परिसर में हर समय आग से बचाव के कदम सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
- द) ठेकेदारों को बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन रहना होगा।
- ध) यदि समय पर कार्य पूरा करना आवश्यक हो तो कार्यों को विस्तारित घंटों में पूरा किया जाएगा और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :

अनुलग्नक- I: इससे पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

क)	कार्य का अनुमानित लागत	9,96,000/- (रुपए नौ लाख छियानवे हजार मात्र)
ख)	एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमाराशि (एमएसटीसी पोर्टल पर विवरण अपलोड करें)	शून्य
ग)	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	लागू नहीं
घ)	ई-निविदा दस्तावेज़ यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं	http://mstcecommerce.com/eprocn
ङ)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख और समय (ऑफलाइन)	04 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे से स्थान : संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, मॉल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश -208001
च)	संपूर्ण बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17 जून 2026, अपराहन 03:00 बजे
छ)	भाग I खोले जाने की तिथि और समय (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	17 जून 2026, अपराहन 03:00 बजे
ज)	भाग II खोले जाने की तिथि और समय (वित्तीय बोलियाँ)	17 जून 2026, अपराहन 03:30 बजे से
झ)	आरंभ होने की तिथि	कार्य आदेश के अनुसार
ञ)	भुगतान की शर्त	-
ट)	ई-निविदा की वैधता	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोले जाने की तिथि से 90 दिन
ठ)	सभी विवाद इस क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे	कानपुर
ड)	दोष देयता अवधि	आभासी समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तिथि से 1 वर्ष
ढ)	अंतिम माप की अवधि	पूर्ण रूप से आरंभ होने की तिथि से 3 माह
ण)	आरंभ होने की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तिथि या कार्यस्थल सौंपे जाने की तिथि, जो भी पहले हो
त)	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्य आदेश जारी किए जाने की तिथि से 60 दिन
थ)	इस ई-निविदा के संबंध में संपर्क व्यक्ति	श्री भानु प्रताप सिंह (समप्र) Ph. No.- 0512- 2304119 ई-मेल - bhanupratapsingh@rbi.org.in श्री पीयूष यादव (सप्र) (टेक-सिविल) Ph. No.- 0512-2331111 ई-मेल - piyush.yadav@rbi.org.in
	परिनिर्धारित हर्जाना	परिनिर्धारित हर्जाने की वसूली, प्रति सप्ताह अनुमानित लागत के 0.25% की दर से की जाएगी, बशर्ते इसकी अधिकतम कीमत स्वीकार्य ई-निविदा की राशि का 10% हो।
द)	प्रतिधारण प्रतिशत (आर.एम.)	प्रत्येक बिल से 5%

ध)	रिफ़ंड किए जाने के लिए प्रतिभूति जमा की किश्त	दोष देयता अवधि के सफलतापूर्वक समापन के उपरांत 100% प्रतिधारण राशि जारी कर दी जाएगी।
न)	अंतरिम प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि	1 माह
न)	अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि	3 माह
प)	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष

निविदाकार का नाम और हस्ताक्षर

तिथि : _____

स्थान : _____

संपर्क/ मोबाइल नं.-

अनुलग्नक- II: ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और इसके बाद जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ लें।

1.	<p>ई-निविदा की प्रक्रिया:</p> <p>क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रॉक्युमेंट पोर्टल में वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही वेंडर अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है/ सकते हैं। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली की प्रस्तुति के लिए बोली इंटरनेट पर लगाई जाएगी। वेंडर के पास क्लास III साइनिंग टाइप डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेंडरों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोली को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।)</p> <p>विशेष नोट: तकनीकी और वाणिज्यिक बोली www.Mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।</p> <p>1) वेंडर्स से अपेक्षित है कि वे स्वयं को www.mstcecommerce.com/eprocn पर पंजीकृत करें।</p> <p>Register as Vendor -- Filling up details and creating own user id and password Submit. For further details, go to Download Guide / Video / Registration</p> <p>ii) वेंडरों को उनके ई-मेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जेनरेटेड मेल मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय दिया जाएगा।</p> <p>किसी स्पष्टीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक/ एमएसटीसी से (ई-निविदा के लिए निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।</p> <p>संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक):</p> <p>श्री भानु प्रताप सिंह (समप्र) Ph. No.- 0512- 2304119 Email: (bhanupratapsingh@rbi.org.in)</p> <p>श्री पीयूष यादव (सप्र तकनीकी – सिविल) Ph. No.- 0512-2331111 Email: (piyushyadav@rbi.org.in)</p> <p>संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी) वेंडरों के लिए:</p> <p>एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडरों के लिए)</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

फोन नंबर: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (मेल भेजते समय विषय "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता


सभी तकनीकी मामलों, ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य-दिवस पर पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx देखें और अपना क्षेत्रीय कार्यालय तदनुसार अद्यतन करें।

ख) सिस्टम की अपेक्षाएं:

विवरण के लिए, वेंडर द्वारा <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध **DOWNLOAD SYSTEM SETTING GUIDE** का संदर्भ लिया जा सकता है।



2. लेनदेन फीस के लिए विशेष नोट:

वेंडर, वेंडर लॉगिन में "My Menu" के अंतर्गत "Transaction Fee Payment" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। वेंडरों को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। वेंडर को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। वेंडर उस चालान

	<p>पर मुद्रित विवरण के अनुसार बिना किसी परिवर्तन किए लेनदेन शुल्क राशि को प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत होगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।</p> <p>लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</p> <p>लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना किसी वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>नोट</p> <p>बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे लेन-देन शुल्क को इवेंट के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से प्रेषित करें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिले।</p>
3.	<p>अपलोड की गई निविदा/ शुद्धिपत्र के संबंध में जानकारी निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल से दी जाएगी। इसलिए वेंडरों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध है और एमएसटीसी में वेंडर के रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया गया है। वेंडरों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
4.	<p>निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित निर्धारित तारीख और समय के बाद ई-टेंडर को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।</p>
5.	<p>ई-निविदा में बिडिंग :</p> <p>नोट: वेंडरों को अनुदेश दिया जाता है कि वे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए My menu में Upload Documents लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।</p> <p>एक बार लाइब्रेरी में अपलोड होने के बाद, वेंडर्स Attach Document लिंक से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि किसी ई-निविदा में अगर दस्तावेज़ संलग्न नहीं किए गए हैं, तो उसे आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि वेंडर द्वारा दस्तावेज़</p>

नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। अतिरिक्त सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा ई-निविदा के लिए आवश्यक बयाना जमा राशि (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से प्रस्तुत किया जाए। लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, गैर वापसी योग्य है। ईएमडी पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। असफल बोलीदाता का ईएमडी, आरबीआई द्वारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीकी वाणिज्यिक बोली तथा कीमत बोली की प्रस्तुति के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे एमएसटीसी की वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली ही प्रस्तुत कर सकते हैं, www.mstcecommerce.com → **e-procurement** → **New Common Portal** → **Bid Floor Manager** → **live event** → **Selection of the live event** → **Transaction fee** → **Common terms** → **Attach Documents** → **Price Bid**.

कृपया ध्यान दें: विक्रेता लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शब्द टैब सक्षम करेगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के खिलाफ अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि अटैच किए गए दस्तावेज़ और/या सामान्य शर्तों को सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम कर दिया जाएगा। क्या यह सफल/लंबित है इसकी स्थिति **bid status** बटन में प्रदर्शित की जाएगी।

1. सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सहेजना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरनी चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना

चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है

नोट: - अंतिम प्रस्तुति करने पर "Delete bid" विकल्प प्रदर्शित होगा। यदि वेंडर अंतिम प्रस्तुति के बाद बोली को डिलीट कर पुनः प्रस्तुत करना चाहता है, तो उन्हें delete bid पर क्लिक करना होगा और उसे पुनः प्रस्तुत कर, final submission पर क्लिक करना होगा।

सभी मामलों में, बोलीदाता द्वारा अपनी बोली की प्रस्तुति के समय डिजिटल सिग्नेचर के साथ-साथ अपना आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करना होगा।

संपूर्ण ई-निविदा की प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे से और अन्य सभी से अज्ञात रहेंगे।

ई-निविदा फ्लोर, पूर्व घोषित समय और तिथि से और उक्त उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ, बोलीदाता पर विधिक रूप से बाध्य होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा तथा खरीददार द्वारा उसकी स्वीकृति, कार्य के निष्पादन के लिए खरीददार और बोलीदाता के बीच बाध्यकारी संविदा होगी। ऐसे सफल निविदाकार को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार कहा जाएगा।

यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ श्रेणी III साइनिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के इंक्रीप्शन टाइप के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा इन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खरीददार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है या उसे वापस ले सकता है या उसकी अवधि बढ़ा सकता है, जैसा भी मामला हो।

इस ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। ई-निविदा फ्लोर में किसी बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किया जाना, उनके द्वारा नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।

माप की इकाई (यूओएम) को ई-निविदा फ्लोर में इंगित किया गया है। ई-निविदा फ्लोर/ निविदा दस्तावेज़ में इंगित यूओएम के अनुसार उद्धृत दर भारतीय रुपए में होना चाहिए।

अनुलग्नक-III: निविदाकार के बैंकों का विवरण

हमारे बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	निविदाकार द्वारा भरा जाए
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	फर्म द्वारा बैंक से ली गई क्रेडिट/ ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	फर्म द्वारा बैंक से बैंकिंग सुविधा लेने की अवधि	

कृपया निरस्त चेक की एक स्कैन प्रति अपलोड करें।

अनुलग्नक - IV: बयाना जमा राशि के लिए लेनदेन विवरण

बयाना जमा राशि के लिए लेनदेन विवरण (यदि बयाना जमा राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा किया गया हो):

क्र. सं.	आवश्यकताएं	निविदाकार द्वारा भरा जाए
1	निविदाकार का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	खाता संख्या	
4	आईएफएससी	
5	यूटीआर संख्या (16 अंकों की संख्या)	
6	भुगतान की तिथि	

निविदाकार का नाम और हस्ताक्षर

तिथि: _____

स्थान: _____

संपर्क संख्या: _____

अनुलग्नक- V: अनुमोदित सामग्री की सूची

01. प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, लैमिनेट	सेंचुरी, ग्रीन प्लाई, आर्किड या अन्य अनुमोदित समतुल्य मेक
02. दरवाजे, हार्डवेयर फिटिंग्स	गोदरेज, हेटिक, ओज़ोन, हैरिसन, रैमसन या अन्य अनुमोदित समतुल्य मेक

स्थान :

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तिथि :

उनकी कंपनी की सील के साथ

कंपनी का नाम	प्लास्टिक इमल्शन पेंट	सिंथेटिक इनामेल पेंट	इंटीरियर प्राइमर	बुडेन प्राइमर	स्टील प्राइमर	एक्रिलिक इमल्शन पेंट सिलिकॉन ऐडिटिव्स (एक्सटीरियर)	एक्सटीरियर प्राइमर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Shalimar Paint Ltd.		"Superlac" hi-gloss enamel		Shalimar Primer for wooden surfaces	Shalimar Synthetic Red Lead Primer	_____	-----
2. Goodlas Nerolac Paints Ltd.		Nerolac synthetic enamel paint		Wooden Primer	Palm tree red oxide metal primer	Nerolac Exterior Acrylic paint (With Silicon additives)	Primolite Exterior Primer
3. Jenson & Nicholson Paints India Ltd.	_____	"Brolac" Hi-polyurethane enamel		Wooden Primer	Steel Primer	_____	-----
4. Asian Paints	Apcolite Suprema	Apcolite suprema premium gloss enamel	Suprema primer	Interior wall primer-ST	Trucare Metal Primer	Apex Suprema	Economy
5. Berger Paints India Ltd.	Rangoli total care	Luxol high glass	Platina Walmasta EXT-INT primer	BP white primer ST	Red oxide primer	Platina weathercoat glow	Platina Walmasta EXT-INT primer
6. Special Paints Ltd. (Earlier Sigma Paints)	_____	Signarine superflow synthetic enamel		Speca wooden primer	Speca red oxide metal primer	_____	-----
7. ICI India Ltd.		Dulux gloss finish		ICI wooden primer	ICI red oxide Metal Primer	Dulux Weather shielded Max	ICI Primer for exterior
8. Birla Opus Paint	Prime I10	N53	Prime I10	Calista sparkle	Prime N10	Prime E50	Prime E10

विनिर्देश और माप के माध्यम

सामग्री

01. गुणवत्ता

कार्यों में शामिल करने के लिए सभी सामग्री अपने संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता की होगी जैसा कि यहां उल्लिखित कार्यों की प्रासंगिक वस्तुओं के तहत निर्दिष्ट किया गया है और नियोक्ता / इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का सख्ती से पालन किया जाएगा या, जहां परीक्षण, विनिर्दिष्ट सूची में निर्धारित नहीं हैं, बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

02. निरीक्षण

कार्यों में शामिल होने से पहले सभी सामग्रियों को कार्यस्थल या फैक्ट्री में निरीक्षण के अधीन रखा जाएगा जैसा कि अनुबंध की शर्तों में और विनिर्देशों में उल्लिखित है। कार्यों में किसी भी सामग्री का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

03. सैंपल

कार्यों में उपयोग या शामिल किए जाने वाले और ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सभी सामग्रियों के नमूने बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी समय देखे जा सकते हैं।

04. स्वतंत्र परीक्षण

ठेकेदार को निर्माता से प्राप्त सामग्री परीक्षण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

कार्य के दायरे में बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए तैयार किए गए विनिर्देशों (मात्रा की अनुसूची में विस्तृत) के अनुसार टीएनओक्यू आरबीआई कानपुर के 04 ब्लॉकों में फ्लैटों के मुख्य द्वार पर मेश डोर शटर प्रदान करना और फिक्स करना शामिल है। विनिर्देश अनुबंध का हिस्सा होंगे और इन्हें विनिर्देशों के पूरक माना जाएगा।

सामग्री प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम अनुमोदित गुणवत्ता की होंगी और वे संबंधित आईएस विनिर्देशों (बीआईएस द्वारा कवर की गई सामग्रियों के लिए) का अनुपालन करेंगे। आदेश देने से पहले सभी सामग्रियों के नमूने स्वीकृत किए जाएंगे और अनुमोदित नमूना बैंक में जमा किया जाएगा।

सामग्री

1. मीट्रिक आकार में सामग्री की अनुपलब्धता के मामले में, एफपीएस इकाइयों में निकटतम आकार इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए न तो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और न ही किसी प्रकार के रिबेट की वसूली की जाएगी।

2. ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि यदि नियोक्ता द्वारा मांग की जाती है, तो वह निर्माता या सामग्री आपूर्तिकर्ता से परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि कार्य उनकी सामग्री का उपयोग करके और उनकी सिफारिशों के अनुसार किया गया है।
3. किसी भी सामग्री के परीक्षण की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में की जाएगी और मूल रूप से परीक्षण के परिणाम बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन परीक्षणों के लिए रसीदों/चालान के उत्पादन पर बैंक द्वारा परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. नियोक्ता/किसी अन्य विशेषज्ञ फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को ठीक से संग्रहित किया जाएगा और ठेकेदार इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा जब तक कि उन्हें कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता न हो।
5. जब तक कि अन्यथा ड्राइंग पर नहीं दिखाया गया हो या मात्रा या विशेष शर्तों की अनुसूची में उल्लिखित न हो, सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी आयाम आदि नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
6. सामग्री पर फील्ड परीक्षण करने के लिए सभी उपकरण और सुविधाएं ठेकेदारों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान की जाएंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

तिलक नगर अधिकारी आवास, आरबीआई, कानपुर के 4 ब्लॉक्स के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर
वायर मेश डोर शटर देने और लगाने

के लिए

ई-निविदा

RBI/Kanpur Regional Office/Estate/2/26-27/ET/85

इन्हें जारी किया गया : _____

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 17 जून 2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कानपुर

मात्राओं की अनुसूची

तिलक नगर अधिकारी आवास, आरबीआई, कानपुर के 4 ब्लॉक्स के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर वायर मेश डोर शटर देना और लगाना

प्रस्तावना:

1. यह कार्य टीएनओक्यू, आरबीआई, कानपुर में निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे अपनी निविदा जमा करने से पहले काम के दायरे, काम करने की स्थिति और काम के बारे में सभी आवश्यक जानकारी के बारे में खुद को परिचित करने के लिए साइट का निरीक्षण करें।
2. उद्धृत दरें इस खाते पर बिना किसी अतिरिक्त के सभी लीड और लिफ्टों पर लागू होनी चाहिए।
3. यह कार्य प्रभारी अभियंता के परामर्श से और अन्य एजेंसी, यदि कोई हो, के साथ निकट समन्वय में किया जाएगा।
4. ठेकेदार काम की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक तैनात करेगा जो बैंक के इंजीनियर से काम के बारे में निर्देश लेगा।
5. **मूल दर मदों के लिए मूल्य समायोजन:** मूल्य समायोजन केवल मापी गई वास्तविक मात्रा के लिए किया जाएगा, किसी प्रकार की बर्बादी पर विचार नहीं किया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों और विशेष अनुदेशों में मूल्य समायोजन के लिए धारा घ के खंड संख्या 18 के अनुसार मूल्य समायोजन किया जाएगा।
6. जहां कहीं भी मूल दर का उल्लेख किए बिना, निविदा में कुछ मदों के तहत अनुमोदित मेक और उत्पाद कोड का उल्लेख किया गया है, ठेकेदारों को केवल मेक और कोड के लिए दरें उद्धृत करनी होंगी। यदि कार्य के निष्पादन के दौरान बैंक द्वारा कोई परिवर्तन शामिल किया जाता है, तो इन सामग्रियों के लिए मूल्य समायोजन प्रभावित होगा, निर्धारित उत्पाद के एमआरपी और उपयोग किए गए उत्पाद के एमआरपी में अंतर को ध्यान में रखते हुए एवं इस अंतर के 15% (पंद्रह प्रतिशत) का जोड़, जो ठेकेदारों के मुनाफे और ओवरहेड्स (सकारात्मक या नकारात्मक) के प्रति होगा। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
7. मूल्य समायोजन के लिए **एमआरपी के अलावा कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय, कर, शुल्क आदि** पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. जहां भी निविदा मदों में सामग्री की मूल दर का उल्लेख किया गया है, उनमें जीएसटी और मूल दर और वास्तविक अनुमोदित खरीद मूल्य (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए और ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी और अन्य करों और शुल्कों को छोड़कर) शामिल नहीं है, साथ ही इस अंतर का 15% (पंद्रह प्रतिशत) ठेकेदारों के मुनाफे और ओवरहेड्स के प्रति जोड़ा जाएगा। मूल्य समायोजन

(सकारात्मक या नकारात्मक) के लिए विचार किया जाएगा। ठेकेदार को इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

9. मूल्य समायोजन के लिए **कार्टेज, लोडिंग, अनलोडिंग, अपव्यय आदि** पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. उद्धृत दरों में काम करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम, बर्बादी, परिवहन, मचान, उपकरण और प्लांट की लागत शामिल होनी चाहिए।
11. यह काम आम तौर पर सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच किया जाएगा। हालांकि, आपसी सहमति के अनुसार सामान्य काम के घंटों से अधिक काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इस खाते पर कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। **ठेकेदार को श्रम कानूनों के अनुसार अधिकतम घंटों से अधिक काम के लिए उचित मुआवजा देना चाहिए और दरों को भरते समय ठेकेदार को काम के घंटों को बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए।**
12. सफल निविदाकर्ता को बड़े पैमाने पर काम करने से पहले बैंक की मंजूरी लेने के लिए कार्य के प्रत्येक आइटम के लिए सामग्री के नमूनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। नमूनों की व्यवस्था के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसे बैंक की सलाह के अनुसार बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नमूने में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होगी। नमूनों के अनुमोदन के बाद ही बड़े पैमाने पर कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
13. ठेकेदार नियमित अंतराल पर या प्राथमिकता के आधार पर बैंक परिसर में काम से उत्पन्न मलबे को उठाने की व्यवस्था करेगा, अन्यथा प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

तकनीकी विनिर्देश

कार्य का दायरा : -

तिलक नगर अधिकारी आवास, आरबीआई, कानपुर के 4 ब्लॉक्स के फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर वायर मेश डोर शटर देना और लगाना

सामग्री और कारीगरी : -

इस संविदा के अंतर्गत ठेकेदार, सर्वोत्तम गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग करने के लिए स्वयं को बाध्य करता है। कारीगरी की गुणवत्ता उच्चतम स्तर की तथा प्रोजेक्ट की प्रकृति के अनुसार होगी। मानक के अनुसार पूर्ण न होने वाले कार्यों को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह त्रुटियुक्त कार्य को हटाए और स्वयं की लागत और जोखिम पर कार्य पुनः निष्पादित करे। कारीगरी की गुणवत्ता/ मानक के संबंध में आर्किटेक्ट/नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्य होगा।

सामग्री : -

सामग्रियों का तकनीकी विनिर्देश, निविदा के भाग-II में मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित विस्तृत विवरण के अनुसार होना चाहिए एवं जहां भी लागू हो, अपेक्षित परीक्षण प्रमाण-पत्र बैंक की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए।

ठेकेदार का नाम और पता :

ठेकेदार का हस्ताक्षर और सील :

तिथि :

स्थान :

भारतीय रिज़र्व बैंक			
संपदा विभाग			
कानपुर			
मात्राओं की अनुसूची			
कार्य का नाम : - तिलक नगर अधिकारी आवास, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के 03 ब्लॉक में फ्लैट्स के मुख्य दरवाजे पर वायर मेश डोर प्रदान करना और लगाना			
मद सं.	विवरण	इकाई	मात्रा
निविदा मद सं. 1.	<p>बैंक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार वर्तमान डोर फ्रेम पर 50X38 मिमी के अनुमानित आकार के द्वितीय श्रेणी के टीकवुड फ्रेम के साथ-साथ नए डोर फ्रेम पर 4मिमी टीक प्लाई के फिनिशिंग के साथ वेंटिलेशन विंडो (संलग्न डिजाइन के अनुसार) तथा दीवार और दरवाजे के जंक्शन पर डोर फ्रेम के चारों ओर तथा वेंटिलेशन विंडो ओपनिंग के अंदर चारों ओर 25 मिमी मोल्डेड बीडिंग तथा बैंक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार 125X32 मिमी के अनुमानित आकार के रेल्स और स्टाइल्स (टॉप एवं मिडिल), 150X32 मिमी के अनुमानित आकार के बॉटम रेल्स तथा बीच में 38x15 मिमी के अनुमानित आकार के टीकवुड मोल्डेड बीडिंग तथा चारों ओर 12X12 मिमी के अनुमानित आकार के टीकवुड बीडिंग की सहायता से फिक्स किए गए न्यूनतम SWG 22 & 1.4मिमी के SS304 वायर गॉज के साथ 0.94x2.10 मी के अनुमानित आकार के वायर गॉज शटर के साथ 32 मिमी मोटा दरवाजा प्रदान करना और लगाना। इस कीमत के अंतर्गत तैयार डोर फ्रेम और शटर दोनों की मौजूदा सतह को हटाने/स्क्रेप/साफ करने के बाद अनुमोदित टिट और शेड के फ्रेंच स्पिरिट पॉलिश के 02 या अधिक कोट प्रदान करना और लगाना भी शामिल होना चाहिए।</p> <p>इस कीमत के अंतर्गत, दरवाजा लगाए जाने के दौरान हुई किसी प्रकार की क्षति की मरम्मत करना भी शामिल होगा।</p> <p>इस कीमत में सभी हार्डवेयर एंड एक्सेसरी (प्रत्येक दरवाजे में) प्रदान करने और लगाने की कीमत शामिल होगी तथा लॉन्ग हेवी क्वालिटी बियरिंग टाइप एसएस बट हिंजेज़ (गोदरेज – 4366), 8 इंच एसएस टावर बोल्ट्स – 1 सं (गोदरेज – 3262), 10 इंच एसएस एल्ट्रॉप – 1 सं (गोदरेज – 2283), 8 इंच एसएस एल्ट्रॉप – 1 सं (गोदरेज – 2284), 8-10 इंच एसएस हैंडल – 2 सं, 1 सं डोर क्लोज़र (गोदरेज – 5959), आदि तथा ग्रूव्स बनाना, स्क्रीव, नेल्स, टीक वुड प्लाई के लिए ऐडहेसिव, वुडेन स्टड्स, वुडेन बीडिंग, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि देना और बैंक के अनुमोदन तथा बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार फिक्स करना।</p>	सं.	40.00

	<p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. दिए जाने वाले हार्डवेयर बैंक के अनुमोदन के अनुसार ही होने चाहिए।2. ऊपर उल्लिखित सभी माप, अनुमानित हैं।3. कॉलनी में पहले से ही दरवाजे लगाए गए हैं। कोई भी दर उद्धृत करने से पहले विशिष्ट आकार, माप और दरवाजे के डिजाइन के लिए कार्यस्थल का दौरा किया जाए और वर्तमान दरवाजों के डिजाइन के साथ समानता बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है।		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>निविदा मद सं. 2.</p>	<p>बैंक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार वर्तमान डोर फ्रेम पर 50X38 मिमी के अनुमानित आकार के द्वितीय श्रेणी के टीकवुड फ्रेम के साथ-साथ नए डोर फ्रेम पर 4मिमी टीक प्लाई के फिनिशिंग के साथ वेंटिलेशन विंडो के बिना (संलग्न डिजाइन के अनुसार) तथा दीवार और दरवाजे के जंक्शन पर डोर फ्रेम के चारों ओर तथा बैंक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार 125X32 मिमी के अनुमानित आकार के रेल्स और स्टाइल्स (टॉप एवं मिडिल), 150X32 मिमी के अनुमानित आकार के बॉटम रेल्स तथा बीच में 38x15 मिमी के अनुमानित आकार के टीकवुड मोल्डेड बीडिंग तथा चारों ओर 12X12 मिमी के अनुमानित आकार के टीकवुड बीडिंग की सहायता से फिक्स किए गए न्यूनतम SWG 22 & 1.4मिमी के SS304 वायर गॉज के साथ 0.94x2.10 मी के अनुमानित आकार के वायर गॉज शटर के साथ 32 मिमी मोटा दरवाजा प्रदान करना और लगाना। इस कीमत के अंतर्गत तैयार डोर फ्रेम और शटर दोनों की मौजूदा सतह को हटाने/स्क्रेप/साफ करने के बाद अनुमोदित टिट और शेड के फ्रेंच स्पिरिट पॉलिश के 02 या अधिक कोट प्रदान करना और लगाना भी शामिल होना चाहिए। इस कीमत के अंतर्गत, दरवाजा लगाए जाने के दौरान हुई किसी प्रकार की क्षति की मरम्मत करना भी शामिल होगा। इस कीमत में सभी हार्डवेयर एंड ऐक्सेसरी (प्रत्येक दरवाजे में) प्रदान करने और लगाने की कीमत शामिल होगी तथा लॉन्ग हेवी क्वालिटी बियरिंग टाइप एसएस बट हिंजेज़ (गोदरेज – 4366), 8 इंच एसएस टावर बोल्ट्स – 1 सं (गोदरेज – 3262), 10 इंच एसएस एल्ड्रॉप – 1 सं (गोदरेज – 2283), 8 इंच एसएस एल्ड्रॉप – 1 सं (गोदरेज – 2284), 8-10 इंच एसएस हैंडल – 2 सं, 1 सं डोर क्लोज़र (गोदरेज – 5959), आदि तथा ग्रूव्स बनाना, स्क्रीव, नेल्स, टीक वुड प्लाई के लिए ऐडहेसिव, वुडेन स्टड्स, वुडेन बीडिंग, सभी आवश्यक फिक्सिंग व्यवस्था आदि देना और बैंक के अनुमोदन तथा बैंक के इंजीनियर के अनुदेश के अनुसार फिक्स करना। नोट :- 1. दिए जाने वाले हार्डवेयर बैंक के अनुमोदन के अनुसार ही होने चाहिए। 2. ऊपर उल्लिखित सभी माप, अनुमानित हैं। 3. कॉलनी में पहले से ही दरवाजे लगाए गए हैं। कोई भी दर उद्धृत करने से पहले विशिष्ट आकार, माप और दरवाजे के डिजाइन के लिए कार्यस्थल का दौरा किया जाए और वर्तमान दरवाजों के डिजाइन के साथ समानता बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है।</p>	<p>सं.</p>	<p>8.00</p>
<p>कुल योग :-</p>			

सील के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर :

स्थान :

तिथि :

